भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1629
उत्तर देने की तारीख 13 दिसम्बर, 2023

जियो और एयरटेल द्वारा आक्रामक मूल्य निर्धारण

1629. श्री पी. आर. नटराजन:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जियो और एयरटेल दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा अपनाये गए आक्रामक मूल्य निर्धारण के विरूद्ध वोडाफोन, आइडिया सहित अन्य हितधारकों से आरोप प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार का आक्रामक मूल्य निर्धारण सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुसार स्वीकार्य है; और

(घ) यदि नहीं, तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की आक्रामक मूल्य निर्धारण मानदण्डों और प्रशासनिक शक्तियों को परिभाषित करने के लिए सरकार के पास क्या प्रस्ताव हैं?

उत्तर
संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) से (घ) दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किए जाते हैं।

ट्राई दूरसंचार टैरिफ आदेश और समय-समय पर उसके संशोधनों को जारी करता है। वर्तमान में दूरसंचार अभिगम सेवा के लिए टैरिफ राष्ट्रीय रोमिंग और रूरल फिक्स्ड लाइन सविर्सेस के अलावा फोरबियरेंस के अधीन है।

ट्राई मौजूदा कानूनी ढांचे के अनुसार हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच करता है। मैसर्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों को भी तदनुसार निपटाया गया है।

*****